राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5( ) आ.प्र. एवं स.आ. / गौशाला / 2016 / 5703-5733 जयपुर,दिनांक : 23-05-16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र क्रमांकः एफ 5( )आ.प्र. एवं सहा. / गौशाला / 2016 / 3711–41 दिनांक 13.4.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि विभाग द्वारा दिनांक 13.4.2016 को अभाव सम्वत् 2072 में खरीफ फसल खराबे के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त घोषित गांवों की पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता स्वीकृति के दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार, अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर सभी 19 अभावग्रस्त घोषित जिलों में संचालित समस्त पंजीकृत गौशालाओं को आवश्यकतानुसार निर्धारित SDRF नॉर्म्स के अनुसार राहत सहायता स्वीकृत की जावे। पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता का भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा जारी ऑन–लाईन स्वीकृति दिनांक से ही देय होगा। इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांकःएफ 5( ) आ.प्र. एवं सहा. / गौशाला / 2016 / 3711–41 दिनांक 13.4.2016 एवं समसंख्यक पत्रांकः 4942–72 दिनांक 10.5.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

23/5/16
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग,राज.,जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव पशुपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव
23/5/16